हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 जून, 2014

संख्या वैब 5 /ह0 अ0 6/2003/धा0 60/2014 .– हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 60 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट कॉम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 42 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;–

"42. वापसी का अनुमोदन.– निम्नलिखित प्राधिकारी एकल आदेश से उत्पन्न प्रत्येक के सामने वर्णित राशि की वापसी अनुज्ञात करने के लिए सक्षम होंगे :–

1.	मुख्यालय में तैनात विभाग की ओर से तीन वरिष्ठतम् अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा सदस्य–सचिव के रूप में संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (कर) से मिलकर बनी समिति। इन अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में से वरिष्ठतम् अध्यक्ष होगा।	ì पच्चीस लाख से अधिक
2.	अध्यक्ष के रूप में संबधित संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (रेन्ज) दो अन्य सदस्य जिनमें से एक उसी रेन्ज में पड़ने वाले किसी जिले में तैनात वरिष्ठतम् उप आबकारी व कराधान आयुक्त (उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त किसी विंग अर्थात रेन्ज में पड़ने वाले किसी जिले में से बिक्रीकर या आबकारी या निरिक्षण या पीजीटी इत्यादि से हो सकता है); दूसरा संबधित जिले का उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) से मिलकर बनी समिति। संबधित जिले में नोडल अधिकारी (वापसी) के रूप में कार्यरत आबकारी एवं कराधान अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।	ì दस लाख से उपर और पच्चीस लाख तक

3.	*अध्यक्ष के रूप में संबंधित जिले के उप आबकारी एंव कराधान आयुक्त (बिक्री कर); अन्य दो सदस्य जिसमें दो जिले में तैनात वरिष्ठतम आबकारी एंव कराधान अधिकारी (आबकारी एंव कराधान अधिकारी किसी भी विंग अर्थात बिक्री कर या आबकारी या निरीक्षण या पीजीटी इत्यादि से हो सकते हैं) से मिलकर बनी समिति। जिले में नोडल अधिकारी (वापसी) के रूप में कार्यरत आबकारी एंव कराधान अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।*	ì दस लाख रूपये तक

निम्नतर प्राधिकारी/प्राधिकारियों व्ययगत ब्याज के बिना वापसी जारी करने के लिए विहित समय से पूर्व कम से कम तीस दिन में समुचित स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को अपना/अपनी सिफारिश (सिफारिशों) सहित मामले का अभिलेख प्रस्तुत करेगा/करेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी उचित समय पर निम्नतर प्राधिकारी/प्राधिकारियों को अपना निर्णय सूचित करेगा। वह लिखित में आदेश द्वारा वापसी की राशि को बढा या घटा सकता है या आदेश कर सकता है कि कोई वापसी देय नहीं है किन्तु कोई प्रतिकूल आदेश प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

वापसी की स्वीकृति के प्रयोजन के लिए गठित समितियाँ अनुमोदन के लिए उनको भेजे गए वापसी के मामलों का निर्णय करने के लिए एक पखवारे में कम से कम एक बार बैठक करेंगी।

आयुक्त किसी समिति की सदस्यता के बारे में अधिकारी की वरिष्ठता के सम्बन्ध में उसकी पात्रता का निर्णय करने हेतु तथा समितियों के निर्विघ्न कार्य करने के लिए हिदायतें जारी करने के लिए सक्षम होगा।"।

हरदीप कुमार
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।